प्रेस नोट

जनपद कानपुर देहात
दिनांक- 03.10.2024

- **श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना/शाखा प्रभारियों के साथ नवरात्रि/दुर्गा पूजा व अन्य आगामी त्यौहारों की तैयारी के सम्बन्ध में गोष्ठी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।**

कृपया अवगत कराना है कि आज दिनांक 07.10.2024 को श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर, रेन्ज कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति की उपस्थिति में नवरात्रि/दुर्गा पूजा व अन्य आगामी त्यौहारों की तैयारी के सम्बन्ध में पुलिस लाइन सभागार कक्ष में गोष्ठी आयोजित की गयी। गोष्ठी के दौरान महोदय द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

1. दुर्गा पूजा/प्रतिमा/कार्यक्रम स्थलों का थानावार/सर्किलवार विवरण की समीक्षा की गयी।

2. दशहरा/रामलीला कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की समीक्षा की गयी।

3. आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत सभी क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा धर्मगुरुओं/आयोजकों के साथ बैठक की समीक्षा कर दिशा निर्देश दिये गये।

4. मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की समीक्षा करते हुए कम्यूनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिये गये।
5. ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की समीक्षा करते हुए अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये निर्देशित किया गया।
6. ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर कैमरे लगवाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये।
7. लूट के अपराधियों पर कृत कार्यवाही की समीक्षा की गयी।
8. सीएम डैशबोर्ड के बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही की समीक्षा की गयी।

महोदय द्वारा नवरात्रि व दशहरा त्यौहार को भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण व सकुशल सम्पन्न कराने तथा अपराध की रोकथाम हेतु भीड़भाड़ वाले स्थानों, बाजारों में पुलिसबल को भ्रमणशील रहने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु सूचीबद्ध कर सुरक्षा/यातायात व्यवस्था हेतु प्रभावी व्यवस्थापन किया जाये एवं समस्त कार्यक्रम स्थलों पर विशेष सुरक्षा प्रबन्ध किया जाये।